

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 14/2014-15

पूरन सिंह अपीलकर्ता
 बनाम
 महेन्द्र बास्की उत्तरकारी

॥ आदेश ॥

29/04/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 14/2014-15 पूरन सिंह बनाम महेन्द्र बास्की एवं अन्य, मौजा नयाडीह अंचल जामा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 वाद सं0 68/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2014 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा नयाडीह के दाग सं0 133 कुल रकवा 02-09-14 धूर जमीन उत्तरकारियों का जमाबन्दी जमीन है जिसमें अपीलकर्ता को अतिक्रमित 04 (चार) कठ्ठा जमीन से निम्न न्यायालय द्वारा उच्छेदित किया गया है। इसी आदेश के विरुद्ध मैं यह अपील दायर किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त दाग में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। बल्कि उक्त दाग से सटे जोरिया का जमीन अतिक्रमण किया गया है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अमीन द्वारा मापी कराकर उच्छेदन की कार्रवाई की जा सकती है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इस पर कार्रवाई किये बिना ही अपीलकर्ता को उच्छेदित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।


उत्तरकारी को विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी का जमाबन्दी जमीन अन्य के द्वारा अतिक्रमण किया गया है जो गलत है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।


निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि "जांच के दरम्यान सरजमीन देखने एवं उभय पक्षों से पूछताछ से स्पष्ट होता है कि लगभग 02 कठ्ठा जमीन अपीलकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण कर दखल किया जा रहा है शेष जमीन जैसा आवेदकगण का दावा है, न्यायालय अमीन द्वारा मापी कराकर उच्छेदन की कार्रवाई की जा सकती है जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके।

इस प्रकार अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण किया गया है अथवा नहीं। इस पर निम्न न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत प्रतीत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस आदेश के साथ पुर्नविचार हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित जमीन का मापी करने के पश्चात ही उच्छेदित करने का आदेश उभय पक्षों को सुनकर पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।


उपायुक्त
दुमका।


उपायुक्त
दुमका।